न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/90/2023	2023/576	03.07.2023	13.08.2024

1. श्रीमती स्नेहलता पत्नी स्व० श्री छबील सिंह, जाति सोमवंशी क्षत्रिय, उम्र करीब 73 साल, निवासी 113, गांधीनगर, स्कीम नंबर 8, अलवर (राज.)

——अपीलान्ट

बनाम

1. गोविन्द सिंह पुत्र स्व० श्री छबील सिंह, जाति सोमवंशी क्षत्रिय, उम्र करीब 45 साल, निवासी 1/574–575, काला कुंआ, हाऊसिंग बोर्ड, अलवर (राज.) हाल निवासी 113, गांधीनगर, स्कीम नंबर 8, अलवर (राज.)
2. श्रीमती नीरू पत्नी श्री गोविन्द सिंह, जाति सोमवंशी क्षत्रिय, उम्र करीब 42 साल, निवासी 1/574–575, काला कुंआ, हाऊसिंग बोर्ड, अलवर (राज.) हाल निवासी 113, गांधीनगर, स्कीम नंबर 8, अलवर (राज.)

——रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर निर्णय दिनांक 09.06.2023

उपस्थितः–
01. श्री मनीष कुमार जैन —वकील अपीलांट
02. श्री दीपक सिद्ध —वकील रैस्पोडेंट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा–23 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 एवं तदसंबंधी नियम, 2010 उपखण्ड अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 09.06.2023 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिस पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया/अपीलाण्ट **73 वर्षीय वृद्धा महिला है तथा प्रार्थीया के पति का देहान्त दिनांक 08.08.2022 को हुआ है।** प्रार्थीया का निजी मिलकियत का प्लॉट संख्या 113, गांधीनगर, स्कीम नंबर 8, अलवर (राज.) में स्थित है। जिसकी चार सीमाएं निम्न प्रकार हैं :– तरफ पूर्व को प्लॉट संख्या 112, तरफ पश्चिम को प्लॉट संख्या 114, तरफ उत्तर को सडक सरकारी, तरफ दक्षिण को प्लॉट संख्या 124 है। उक्त प्लॉट प्रार्थीया द्वारा नगर विकास न्यास, अलवर से नीलामी में खरीद किया गया था। जिसकी आंवटन की तिथि 04.04.1981 है तथा उक्त प्लॉट का कब्जा पत्र दिनांक 06.06.1984 को प्रार्थीया के नाम जारी किया गया था। जिस पर प्रार्थीया ने अपनी निजी बचत से मकान का निर्माण किया है जिसमें चार कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई व एक चौक बना हुआ है जिसकी प्रार्थीया तन्हा मालिक है जिसमें नल व बिजली के कनेक्शन प्रार्थीया के नाम से लिये हुए हैं तथा अप्रार्थीगण का उक्त जायदाद में कानूनन कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रार्थीया के तीन पुत्र व एक पुत्री है जिनमें अनिल कुमार, गोपेश, गोविन्द सिंह (अप्रार्थी संख्या 1) व पुत्री शशि जायसवाल है। जो सभी विवाहित है तथा उनका खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। अनिल कुमार कलकत्ता अपने परिवार सहित

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

निवास करता है तथा बजाज कम्पनी में मैनेजर है तथा गोपेश जयपुर में अध्यापक है तथा गोविन्द सिंह अलवर में काला कुंआ में रहता है तथा अपना निजी व्यवसाय करता है व पुत्री श्रीमती शशि जायसवाल जयपुर में अपने ससुराल में निवास करती है तथा उक्त मकान में अब सिर्फ प्रार्थीया ही निवास करती है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आपस में पति पत्नी हैं तथा प्रार्थीया के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते हैं तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया के पति की मृत्यु पर आकर प्रार्थीया के साथ बदव्यवहार व हंगामा किया तथा अर्थी उठाने के समय व तीये के दिन भी काफी बदतमीजी की जिससे प्रार्थीया को थाना अरावली विहार, अलवर को सूचित करना पड़ा। जिसकी रिपोर्ट की प्रति बवजह सबूत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की हुई है। थाना अरावली विहार, अलवर के अधिकारियों ने प्रार्थीया के घर पर आकर अप्रार्थीगण को समझाईश की व पाबन्द किया कि किसी भी प्रकार प्रार्थीया की शांति भंग नहीं करें। अप्रार्थीगण जबरदस्ती दीदोदानिस्ता तौर पर प्रार्थीया के मकान में प्रवेश करना चाहते हैं तथा अपना अधिकार जताते हैं जबकि कानूनन अप्रार्थीगण का प्रार्थीया की जायदाद में कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को अपने उत्तराधिकार से वंचित कर दिया है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया को उक्त जायदाद से जबरन बेदखल करने पर उतारू हैं तथा अप्रार्थीगण ने दिनांक 20.08.2022 को प्रार्थीया को एलानिया धमकी दी है कि हम उक्त जायदाद में आकर रहेंगे तथा प्रार्थीया को नहीं रहने देंगे। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीया उपरोक्त जायदाद की निखालिस मालिक है तथा अप्रार्थीगण का अथवा किसी भी अन्य पुत्र व पुत्री का उपरोक्त जायदाद में कानूनन कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा प्रार्थीया उपरोक्त जायदाद का स्वेच्छापूर्वक निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। जिसमें अप्रार्थीगण को हस्तक्षेप करने का कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। धारा 21 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने जीवन और सम्पत्ति का संरक्षण प्राप्त करने की कानूनन अधिकारी है तथा धारा 22 उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों की पालना कराने की शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा राजस्थान सरकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 के नियम 20 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य और शक्तियों का विवरण दिया गया है तथा नियम 21 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रार्थीया अपने पुत्र अनिल कुमार के साथ कलकत्ता जाना चाहती है। जिससे प्रार्थीया को आशंका है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया की उपरोक्त सम्पत्ति पर नाजायज रूप से कब्जा कर लेंगे। जिससे प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेण्टान को अधीनस्य न्यायालय द्वारा नोटिस देकर तलब किया गया तथा रेस्पोडेण्टान द्वारा कतई असत्य एवं बेबुनियादी तथ्यों के आधार पर जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में उक्त अधिनियम की मंशा के विरूद्ध एवं प्रार्थीया/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की गई दस्तावेजी साक्ष्य एवं न्यायिक विनिश्चयों की अनदेखी कर मनमाने तौर पर निर्णय दिनांक 09.06.2023 पारित किया गया है। प्रार्थीया/अपीलाण्ट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय में सी.सी.टी.वी. कैमरा रिकॉर्डिंग एवं उसकी स्क्रिप्ट प्रस्तुत की गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सी.सी.टी.वी. कैमरा रिकॉर्डिंग एवं उसकी स्क्रिप्ट का अध्ययन किया होता तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पारित नहीं किया जाता। जिस स्क्रिप्ट में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा खुले तौर प्रार्थिया पर हाथ उठाया तथा प्रार्थिया के सम्पूर्ण वंश को खत्म करने की धमकी दी एवं प्रार्थिया को लांछित करने के हेतु कहां से मुंह काला

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

कराकर औलाद पैदा की है जैसे अपमानजनक भाषा से बेज्जत किया गया। जिससे भी आलोच्य निर्णय दिनांक 09.06.2023 अपास्त किये जाने योग्य है अधीनस्य न्यायालय ने आलोच्य निर्णय दिनांक 09.06.2023 कतई विरोधाभासी पारित किया है। उक्त निर्णय के पृष्ठ संख्या 8 के अंतिम पैराग्राफ में अंकित किया गया है कि "प्रार्थीया की वृद्धावस्था को देखते हुए उक्त सम्पत्ति में प्रार्थीया के बिना किसी व्यवधान के निवास की व्यवस्था करना भी भरण पोषण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत निहित है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त प्रश्नगत मकान के निवास हेतु एवं अन्य उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है।" इसके विपरीत उक्त निर्णय के पृष्ठ संख्या 9 के प्रथम पैराग्राफ में अंकित किया गया है कि "भरण पोषण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत विवादित सम्पत्ति में किसी पक्षकार को बेदखल करना भी नहीं रहा है। अतः अप्रार्थीगणों को निर्देशित किया जाता है कि वह पूर्व में प्रार्थीया द्वारा निवास हेतु काम में लिये जा रहे समस्त आवास उपयोग व उपभोग करने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे ना ही प्रार्थीया को किसी भी प्रकार की मानसिक भावनात्मक रूप से परेशान नहीं करेंगे ही यह निर्देश किया जाता है कि प्रार्थीचा माला कथासम्भाल करेंगे। अप्रार्थीगण केवल दो कमरो, विचिनयमकाकर सकेंगे।" एक ओर तो अप्रार्थीगण को उक्त सम्पत्ति में प्रार्थीया को किसी प्रकार के उपभोग में बाधा उत्पन्न करने हेतु पावन्द किया है। वहीं दूसरी और विरोधाभासी निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थीगण को दो कमरो, किचिन व बाथरूम का उपयोग व उपभोग करने की अनुमति प्रदान की गई है जो विधि विरुद्ध एवं परिस्थितियों के विपरीत है। वास्तविक स्थिति यह है कि स्व. श्री छबील सिंह जी की मृत्यु दिनांक 08.08.2022 को हो जाने के पश्चात् एवं प्रार्थीया के अधीनस्य न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात प्रार्थीया/अप्रीलाण्ट की वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाते हुए जान बूझकर अपीलाण्ट की सम्पत्ति में बलपूर्वक प्लॉट संख्या 113, गांधीनगर, स्कीम नंबर 8. अलवर के तरफ दक्षिण में पीछे बने एक कमरा, एक रसोई, एक बाथरूम पर कब्जा कर लिया। इससे पूर्व अप्रार्थीगण प्लॉट संख्या 1/574–575, काला कुंआ, अलवर में निवास करते थे जिन्हें प्रार्थीया के पति स्व. श्री छबील सिंह जी ने अपने जीवनकाल में घर में अशान्ति एवं माहौल खराब करने के कारण माह जून 2021 में घर से निकाल दिया था। जिसके संबंध में प्रस्तुत की गई दस्तावेजी साक्ष्य सी.सी. टी.वी. रिकॉर्डिंग एवं प्रस्तुत किये सम्मन पर की गई तामील कुनिंदा की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को प्रार्थीया/अपीलाण्ट की सम्पत्ति में दो कमरे, किचिन एवं बाथरूम के उपयोग व उपभोग करने का जो निर्देश प्रदान किया गया है वह कतई कयासिया व मनमाना है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में किसी प्रकार की संक्षिप्त ना तो जांच की गई तथा ना ही मौका मुआयना किया गया तथा किसी भी अवैधानिक कब्जेदार को किसी भी प्रकार की राहत प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत नहीं है। जिससे भी आलोच्य निर्णय दिनांक 09.06.2023 अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपील अपीलाण्ट/प्रार्थिया स्वीकार किये जाने योग्य है। अधीनस्य न्यायालय ने अपने निर्णय में सम्पत्ति के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय में विवाद होने का अंकन किया है तया अप्रार्थीगण/रेस्पोडेण्टान द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही की सम्पूर्ण प्रतियां अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। अप्रार्थीगण रेस्पोडेण्टयन द्वारा जो दावा प्रार्थीया/अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है वह केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है ना कि कोई घोषणात्मक एवं सम्पत्ति विभाजन का दायर किया गया है जिससे अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट का उक्त सम्पत्ति में कोई हक निर्धारित नहीं है। जिससे भी आलोच्य निर्णय दिनांक 09.06.2023 अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपील अपीलाण्ट/प्रार्थिया स्वीकार

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण/ रेस्पोडेण्टान का मकान संख्या 113, स्कीम नंबर 8, अलवर में कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। यदि कोई हिस्सा होना क्लेम करता है तो उसके लिए अप्रार्थीगण/रेस्पोडेण्टान को दावा बावत घोषणात्मक लाया जाना आवश्यक है। विधि का सुनिश्चित सिद्धान्त है कि बिना घोषणा कराये किसी भी सम्पत्ति में हित प्राप्त नहीं हो सकता है तथा कोई भी स्थगन सच्चे मालिक के विरूद्ध जारी नहीं किया जा सकता है उक्त संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का निम्न न्यायिक विनिश्चिय अवलोकन किये जाने योग्य है :—IN THE SUPREME COURT OF INDIA NEW DELHI CIVIL APPELLATE JURISDICTION CIVIL APPEAL NO- 1382 OF 2022 Decision Date 03.03.2022 Padhiyar Prahladji Chenaji Vs Maniben Jagmalbhai किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी बिन्दू को समझने में अहम भूल की गई है। उक्त अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं उनकी सम्पत्ति का संरक्षण करने हेतु बनाया गया है। जिससे किसी भी वरिष्ठ नागरिक को समाज में फैल रही कुरीतियों से संरक्षण हेतु निर्मित किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का मनन एवं विचारण नहीं किया एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, मुम्बई उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत की गई नजीरों को विचारण में भी नहीं लिया गया जो कि निम्नलिखित हैं:— IN THE HIGH COURT OF DELHI W.P. 10463/2015 and CM Appl. 432272016 Decided on 15.03.2017 Sunny Paul and Ors. Vs. State NCT of Delhi and Ors. IN THE SUPREME COURT OF INDIA NEW DELHI Civil Appeal No. 3822 of 2020 Decided on 15.12.2020 S.Vanitha Vs. The Deputy Commissoner Bengluru Urban District and Ors. IN THE HIGH COURT OF RAJASTHAN (JAIPUR BENCH) S.B. Civil Writ Petition No. 6089/2019 Decided on 07.04.2022 Suresh Sharma and Ors. Vs. Dhanwanti Sharma माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007, धारा 2(b), 2(f), 2(k), 3 और राजस्थान सरकार माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण नियम, 2010 परिसर खाली करने का आदेश माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण (एस.डी.ओ.) द्वारा आदेश पारित किया गया अभिनिर्धारित कि प्रत्यर्थी—माता के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसे स्वयं के घर से बाहर निकाल दिया गया, याचीगण के विरूद्ध मानसिक शारीरिक और सामाजिक अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया गया तथा इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्रत्यर्थी माता ने यह निवेदन किया कि याची के साथ रहने के उसके जीवन एवं मानसिक कल्याण के लिए खतरा होगा अधिकरण द्वारा पारित बेदखली का आदेश बहाल रखा। रिट याचिका खारिज की। IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY Writ Petition (L) No. 25744 of 2022 Decision Date 20.10.2022 Hemant Gamanlal Mehta Vs. The State of Maharashtra. IN THE COURT OF BOMBAY Writ Petition (L) No. 9374 of 2020 and Contempt Petition (L) No. 21713 of 2021 Decided on 25.11.2021 Shweta Shetty Vs. State of Maharashtra and Ors. Punjab&Haryana High Court CWP No. 24508 of 2015 Decision Date 01.12.2015 Gurpreet Singh Vs. State of Punjab and Others. उक्त न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेण्टान द्वारा प्रार्थीया/अपीलाण्ट के साथ दुर्व्यवहार किया है उसके विरूद्ध मानसिक, शारीरिक और सामाजिक अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया गया है या किसी भी प्रकार से प्रताडित किया गया है तथा प्रार्थीया/अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट किये गये हैं कि अप्रार्थीगण रेस्पोडेण्टान के साथ रहने से उसके जीवन एवं मानसिक कल्याण के लिए खतरा है एवं परिसर खाली करने का आदेश दिये जाने के निर्देश प्रदान किये जावें। प्रार्थीया/अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत सी.सी.टी.वी. फुटेज एवं उनकी स्क्रिप्ट से यह बात भली भांति प्रमाणित है कि प्रार्थीया/अपीलाण्ट का जीवन

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अप्रार्थीगण/रेस्पोडेण्टान के साथ रहने से सुरक्षित नहीं है। उक्त साक्ष्य एवं न्यायिक विनिश्चयों की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया गया है जिससे भी आलोच्य निर्णय दिनांक 09.06.2023 अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपील अपीलाण्ट/प्रार्थिया स्वीकार किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको को जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम बनाया गया है उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.06.2023 अपास्त फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण/रेस्पोडेण्टान को प्रार्थीया/अपीलाण्ट की सम्पत्ति से बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्वान वकील रैस्पॉडेन्ट ने अपनी लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि परिवादी/अपीलांट न्यायालय में CLEAN HAND से नहीं आई है और वास्तविकता के तथ्यों को छिपा कर आई है। अधिनियम की धारा 22 इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है, इसके अलावा धारा 23 का कोई अनुतोष भी नहीं है क्योंकि सशर्त कोई संपत्ति अपीलांट की ओर से रेस्पोडेंट को प्रदत नहीं की गई है। पक्षकारान के दरमियान विवादित पैतृक संपत्ति का विवाद है जो सिविल न्यायालय से तय होना है। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम का उद्देश्य बच्चो द्वारा त्यागे गए बुजुर्गों की देख–रेख करवाना है इसका उद्देश्य परिवार के भाईयों बहिन के बीच के संपत्ति विवाद में वरिष्ठ नागरिको को टूल बनाकर इस्तेमाल करना नहीं रहा है। प्रार्थी की माताजी श्रीमती स्नेहलता द्वारा न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट में दायर वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण केस में प्रश्नगत मकान 113 गांधी नगर अलवर के संरक्षण की कार्य योजना की बनाए जाने से सम्बंधित था, माताजी द्वारा प्रश्नगत मकान की बजाये, कलकत्ता में पुत्र अनिल के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की गयी थी, अब माननीय कलेक्टर साहब के पास की गयी अपील में प्रार्थी को घर से बेदखल करने और प्रार्थी के साथ रहने में जान की आशंका की नयी बात जोड़ दी गयी है। माताजी बड़े पुत्र अनिल के साथ रह रही है और अन्य पुत्रो में से प्रार्थी स्वयं और जयपुर निवासी भाई गोपेश भी स्वेच्छा से माता की सेवा करने को तत्पर है किन्तु बड़े भाई अनिल के प्रभाव की वजह से माता जी को रहने नहीं दिया जा रहा है और कोई संपर्क भी नहीं कराया जा रहा है। बड़े भाई अनिल द्वारा प्रार्थी को पिताजी के पैतृक मकान से जबरदस्ती बेदखल नहीं करने के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा भी अनिल के खिलाफ एक मुकदमा सिविल कोर्ट में दिनांक 23 अगस्त 2022 में कराया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को घर से बेदखल नहीं करने के पक्ष में स्टे आर्डर पारित कर दिया गया है। इसके विपरीत अनिल द्वारा माता जी को अपने प्रभाव में ले प्रार्थी के खिलाफ माता जी की और से सिविल कोर्ट में ही 27 अगस्त 2022 को स्टे के लिए केस करवा दिया गया जिसे की माननीय सिविल कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है। माताजी द्वारा स्वयं सिविल कौर्ट में जाने के बाद, प्रार्थी पे मानसिक दबाव बनाने के लिए ही साजिशन माताजी से वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण में दिनांक 01 सितम्बर 2022 को केस करवाया गया। उपरोक्त केस संतानों के बीच माता पिता की प्रोपर्टी के विवाद का हैं जिसमें पुत्र अनिल एवं गोद गए पुत्र राजेश याज्ञिक द्वारा माता जी को अपने प्रभाव में लेकर (हथियार बनाकर) 02 अन्य पुत्रो स्वयं प्रार्थी गोविन्द और जयपुर निवासी अन्य पुत्र गोपेश को उनके कानूनी हक़ से वंचित करना है और स्वर्गीय पिताजी छबील सिंह जी की चल अचल संपत्ति हड़पना है जिसका प्रमाण पूर्वक खुलासा इस प्रकार है। अनिल एवं राजेश द्वारा प्रार्थी के पिता जी श्री छबील सिंह के स्वर्गवास दिनांक 08 अगस्त 2022 के मात्र 14 दिनों के अन्दर घर में थाना पुलिस, तनाव एवं विवाद के दौरान

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

माताजी से वसीयत करवा ली गयी, जिसका कोई खुलासा विवरण दर्ज नहीं किया गया है और छिपाया गया है और वसीयत नाम किस प्रकृति का निष्पादित किया गया है और इस तथ्य से भी कल्पना की जा सकती है कि हिन्दू धर्म रिती रिवाजो के अनुसार किसी भी हिन्दू नारी के पति के निधन के बाद कम से कम सवा महीने तक वह घर से बाहर आती जाती नहीं है, अनिल एवं अन्य ने माता जी को प्रभाव में लेकर अवैध एवं धोखाधड़ी पूर्वक दस्तावेज अपने पक्ष में निष्पादन कराये है। केडलगंज मुख्य बाजार स्थित माता जी के नाम की 2 दुकाने, पिताजी के स्वर्गवास के तुरंत बाद विकवा दी और सम्पूर्ण पैसा बाँट लिया। पुलिस को दिए बयान में अनिल ने माना है कि उसने और उसकी पत्नी ने निजी खर्चों के लिए 5–6 लाख रूपये माता जी से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराये। स्वर्गीय पिता श्री छबील सिंह पेंशन अकाउंट, सेविंग अकाउंट, FD, RD, सोने–चांदी के आभूषण इत्यादी का पैसा माता जी के जरिये खुद हड़प लेना जबकि कानूनन इस पैसे पे सभी वारिसों का हक़ है, आज तक इनका निपटारा नहीं किया गया है और प्रार्थी एवं उसके अन्य भाई जयपुर निवासी गोपेश को कुछ भी नहीं दिया गया है। RTI जाँच में शामिल माता जी के बैंक अकाउंट डिटेल्स से पता चलता है कि करीब 25000/– प्रति माह की पेंशन के बावजूद माता जी के अकाउंट में सिर्फ 20000–25000 हजार रु. बाकि है जबकि इसी अकाउंट में पिताजी का पैसा सहित दुकानों को बेचने से आया पैसा भी था, माता जी के भविष्य को देखते हुए भी गलत है। स्वर्गीय पिता छबील सिंह के वाहन RJ02/SS/8755 माता जी द्वारा सभी वारिसों की झूठी सहमती का एफिडेविट देकर खुद के नाम करा लेना और फिर उसी वाहन को अनिल द्वारा खुद के नाम करवा लेना जबकि इस पर भी कानूनन स्वर्गीय पिता छबील सिंह के सभी वारिसों का हक़ है। स्वर्गीय पिता छबील सिंह द्वारा UIT से खरीद किया एवं कलेक्टर ऑफिस से लोन लेकर बनवाये मकान को UIT में झूठे एफिडेविट देकर एकल पट्टे का आवेदन करना ताकि माता जी से फिर खुद के नाम करवा लिया जाए क्योंकि अगर मकान पिताजी का होगा तो सभी को हिस्सा देना पड़ेगा। प्रार्थी के निर्वसीयत स्वर्गीय पिता की एकमात्र बची निशानी मकान (जिसपे की कानूनन सभी वारिसो का हक़ है), हड़पने में अनिल, राजेश सफल नहीं हुए है प्रार्थी मकान में करीब 30 वर्षों से और अपनी शादी के बाद 2010 से पत्नी और 11 वर्षीय बच्चे के साथ माता–पिता की सेवा करते हुए रहता रहा हैं, इतने वर्षों से कोई कोर्ट कचहरी पुलिस आदि नहीं हुई। किसी भी तरह से कोई निर्णय अपने पक्ष में करवा लेने के लिए कानूनों का भरपूर दुरूपयोग किया जा रहा है। प्रार्थी को परेशान कर मकान खाली करने के लिए काफी समय से विभिन्न तरीकों से अनुचित दबाव कबाया जा रहा है, जिसका खुलासा इस प्रकार से है जिससे स्पष्ट होता है कि पीड़ित तो प्रार्थी है। दिनांक 16 अगस्त 2022 को अरावली विहार थाने में प्रार्थी और उसकी पत्नी की शिकायत जिसमें की पुलिस जांच उपरान्त परिवार में माताजी सहित सभी सदस्यों को शान्ति भंग में पाबन्द किया गया। दिनांक 20 अगस्त 2022 को अनिल द्वारा धमकी दी गयी "अगर मकान खाली नहीं किया तो सब कुछ मम्मी से अपने नाम करवा लूँगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा"। दिनांक 26.07.2022 को प्रार्थी के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस। दिनांक 01. सितम्बर 2022 को वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण में केस। दिनांक 21.10.2022 महिला आयोग जयपुर में प्रार्थी और पत्नी की शिकायत। पूरा विवाद संतानों के बीच संपत्ति के विवाद का है जिसमें माताजी को एक भाई द्वारा टूल बनाया गया है। जिससे कि वो समस्त संपत्ति नाजायज तरीके से अकेले ही हड़पना चाहता है। माताजी को 25000 महीना पेंशन आता है। उन्होंने कहा है कि वो अनिल के साथ अलवर छोड़ कर कलकत्ता रहना चाहती हूँ। विगत 2 वर्षों से माता जी अनिल के साथ ही रह रही है। प्रार्थी के अन्य भाई जयपुर निवासी गोपेश से भी अनिल

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

माता जी को संपर्क नहीं करने देता है न ही उसे कोई हिस्सा दिया गया है जबकि उसका तो किसी भी तरह का झगडा भी नहीं है। माता जी के 3 पुत्रो और एक पुत्री में से सिर्फ प्रार्थी को ही पार्टी बनाया है। यह पूरा कैस बार–बार दोहराय गए झूठे और सास बहु के बढ़ा चढ़ाकर पेश किये गए विवाद और माता जी की जान माल की सुरक्षा की तर्कहीन आशंका पर टिका हुआ है। प्रार्थी को माता जी की सेवा करते हुए अपने साथ पूर्ववत रखने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि प्रार्थी का भाई अनिल, जान बूझकर माताजी को अन्य बेटों के पास नहीं रहने देने और उनसे संपर्क भी नहीं करने देता है क्योंकि वो खुद अपने बेमानी की वजह से असुरक्षित है। माननीय सिविल कोर्ट के प्रार्थी के पक्ष में आये स्टे आर्डर के बाद भी न्यायालय की अवमानना करते हुए प्रार्थी को उसके कानूनी हक़ से वंचित कर विभिन्न तरीकों से घर से बेदखल करने में लगे हुए है। अपील का बिन्दुवार जवाबः– प्रश्नगत मकान प्रार्थी के स्वर्गीय पिताजी द्वारा UIT से खुद के पैसो से खरीद किया हुआ है और माननीय कलेक्टर ऑफिस से स्वीकृत लोन द्वारा बनवाया हुआ है। (लोन स्वीकरण पत्र) माताजी हाउस वाइफ रही है कभी कोई नौकरी व्यावसाय आदि नहीं किया न ही मकान से सम्बंधित उनके पास उनके तनहा मालिक होने का कोई विक्रय पत्र, दानपत्र, हक़ त्याग, UIT पट्टा इत्यादि कुछ नहीं है। उनका ये कहना है कि मकान खुद की कमाई से बनवाया है कतई गलत है जबकि माननीय कलेक्टर ऑफिस से प्रार्थी के स्वर्गीय पिताजी के नाम से स्वीकृत लोन का लेटर संलग्न है। माताजी से स्वयं UIT में प्रार्थी के स्वर्गीय पिताजी का नाम जोड़ने की एप्लीकेशन लिखी थी आश्चर्यजनक रूप से माताजी ने पिछले करीब 40 वर्षों से प्रार्थी के पिताजी के जीवनकाल में UIT में तनहा मालिकाना हक़ से कोई विरोध नहीं किया, अब प्रार्थी के पिताजी के स्वर्गवास के बाद मकान हड़पने की साजिश के चलते माता जी से सब करवाया जा रहा है। UIT के दस्तावेजों में भी प्रार्थी के पिताजी श्री छबील सिंह का नाम दर्ज है और पिताजी के निर्वसीयत स्वर्गवास के बाद UIT द्वारा सभी वारिसों का इसमें हक़ माना गया है। UIT रिकॉर्ड अनुसार प्रश्नगत मकान का अंतिम पट्टा जारी नहीं किया गया। प्रार्थी बचपन से (लगभग 30 वर्ष, जबसे मकान का निर्माण हुआ है–1996) प्रश्नगत मकान में एवं 2010 में शादी के बाद से ही अपनी पत्नी एवं 10 वर्षीय पुत्र के साथ निर्बाध रूप से रह रहा है जबकि प्रार्थिया स्वयं अपनी इच्छा अनुसार अगस्त 2022 से अनिल के साथ रह रही है। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण केस में माननीय SDM कोर्ट के निर्णय से पहले ही और बाद में भी प्रार्थी अपनी माताजी को पूर्व के 12 वर्षों की तरह खुशी खुशी रखने और उनकी सेवा को तैयार है जबकि प्रार्थिया रहना ही नहीं चाहती है वो सिर्फ प्रार्थी को निकालना चाहती है। प्रार्थी को परिवार सहित प्रश्नगत घर से निकालने की कोशिशे हुई उसकी बीवी और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया और पिताजी के क्रिया कर्मों में भाग लेने से भी रोका गया इन्ही बातों को लेकर घर में प्रार्थी का, बड़े भाई अनिल और गोद गए भाई राजेश के साथ विवाद हुआ जिसकी प्रार्थी की और से अरावली विहार थाणे में शिकायत की गई। अरावली विहार थाना अधिकारी द्वारा जांच में प्रार्थी को घर से निकालने के चलते परिवार के सभी सदस्यों को ADM द्वारा शांति भंग में पाबन्द किया गया था। प्रार्थी द्वारा अपने ही घर में जबरदस्ती घुसने की बात बे बुनियाद है क्योंकि प्रार्थी प्रश्नगत मकान में बचपन से एवं 2010 में शादी के उपरान्त पत्नी और बच्चे के रहता आ रहा है। UIT के दस्तावेजों, साक्ष्य और भारतीय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम भी प्रार्थी को अपने पिता के पैतृक मकान में रहने का अधिकार देता है। प्रार्थी की रिहायश किसी भी तरह गैरकानूनी नहीं है। माननीय सिविल कोर्ट ने भी प्रार्थी के पक्ष में घर से बेदखल नहीं करने का स्टे आर्डर पारित किया है प्रार्थी द्वारा माता जी को बेदखल करने का आरोप, निराधार है। प्रार्थी हमेशा से ही खुशी

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

खुशी माताजी के साथ रहने को तैयार है। सच्चाई ये है कि अनिल और राजेश, माता जी को प्रार्थी के साथ नहीं रहने देना चाहती और माता जी की असुरक्षा की आशंका को साजिशन बढ़ा चढ़ा के बता रहे है। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण का कोई प्रावधान इस केस में लागू नहीं होता, माता जी को 25000/– रूपये पेंशन आ रही है। प्रश्नगत मकान में खुद रहना नहीं चाहती है। अपनी इच्छा से बड़े बेटे अनिल के साथ रह रही है। लाखों रूपये का निस्तारण सिर्फ एक बेटे अनिल के पक्ष में कर चुकी है। माताजी का जीवन यापन भी इस मकान से जुड़ा नही है। माताजी इस मकान की तनहा मालिक भी नहीं है जिस संपत्ति की सुरक्षा की आशंका व्यक्त की जा रही है उसमें प्रार्थी भी कानूनी रूप से हिस्सेदार है वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम का प्रार्थी को पैतृक संपत्ति से बेदखल करने में भरपूर दुरूपयोग किया जा रहा है। माताजी स्वयं अपनी इच्छा से बेटे अनिल के साथ कलकत्ता जाना चाहती है तथा इसके अलावा भी माताजी के पास रहने के लिए प्रार्थी स्वयं एवं जयपुर निवासी अन्य भाई गोपेश भी माता जी की सेवा के लिए सहर्ष तैयार है और अलवर स्थित प्रश्नगत मकान में नहीं रहेगी, भरण पोषण अधिनियम के द्वारा प्रार्थी को घर से बेदखल करने से माता जी के जीवन यापन पर फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि प्रार्थी के पत्नी बच्चे अपने घर से बेघर हो जायेंगे, जिससे किस का उद्देश्य हासिल होगा यह माननीय न्यायालय के लिए सोचनीय विषय है। माताजी स्वयं 01 सितम्बर 2022 को वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण न्यायालय में जाने से पहले ही 26 अगस्त 2022 को सिविल कोर्ट में इसी केस को लेकर जा चुकी थी, प्रार्थी को परेशान करने और दबाव बनाने के उद्देश्य से महिला आयोग जयपुर, घरेलू हिंसा केस आदि कई जगह शिकायत कर चुकी है। माताजी और प्रार्थी की पत्नी करीब 12 वर्षो के साथ रह रहे थे तब कभी कोई कोर्ट, पुलिस आदि नहीं हुआ था। सच्चाई ये है कि माता जी प्रश्नगत मकान में रहना ही नही चाहती बल्कि अनिल खुद माता जी को अपने पास रखे हुए प्रार्थी खुद स्वेच्छा से माता जी की सेवा करने को तैयार है, किसी भी पुलिस मे CCTV की निगरानी में रहने को तैयार है, वास्तविकता यह है कि प्रार्थी का माता जी से कोई झगडा ही नहीं है जो समझौता करे या उन्हें हानि पहुचाने का सवाल ही नहीं है जबकि प्रार्थी गोविन्द सिंह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली (NSD) एवं श्रीराम सेन्टर फॉर फरफोनिंग आर्ट नई दिल्ली एवं फिल्म एवं टेलीविज़न इंस्टिट्यूट पूना से प्रशिक्षित राष्ट्रीय स्तर का रंग मंच का निर्देशक है और अनेको अकादमियों से सम्मानित होकर अवार्ड प्राप्त कर चुका है एवं स्नेहकला मंच (NGO) में सचिव के पद पर कार्यरत है जो कि माता जी के नाम पर ही खोला हुआ है तथा उसकी पत्नी नीरू मेवाडा शहर की प्रतिष्टित स्कूल बाल भारती में अध्यापिका के पद पर पिछले आठ वर्षो से कार्यरत है। वर्षो से प्लाट न. 113 स्कीम न. 8 के अगल बगल व सामने रहने वाले पड़ोसियों द्वारा भी प्रार्थी व उसकी पत्नी के अच्छे व्यवहार की पुष्टि की गई है। इसलिए माता के प्रति असम्मान जैसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है माताजी द्वारा बेटे की ओर से भविष्य में कोई अपराध घटित होने की तर्कहीन आशंका को आधार बनाकर निर्णय अपने पक्ष में कराने का प्रयास किया जा रहा है जो कि वास्तविकता से बहुत दूर है। पूरा केस झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। उपखंड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लंबित भरण पोषण केस की करीब 1 साल की अवधि के दौरान. माता जी हमेशा कहती रही कि प्रार्थी को मकान में घुसने से रोका जाए और अब माननीय कलक्टर को की अपील में अचानक से कहा जा रहा है कि प्रार्थी बलपूर्वक घर में घुस गया है। पहले केस प्रार्थी को घर में घुसने से रोकने का था और अब अपील में प्रार्थी को घर से बाहर बेदखल करने का केस कर दिया है। प्राथिया द्वारा कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। प्रार्थी किस तारीख को घर में घुसा? पिताजी के स्वर्गवास से पहले या बाद में और अगर घर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

में घुसा तो क्या ताला तोड़कर घुसा? उसकी FIR क्यों नहीं हुई? माननीय न्यायालय को सूचित क्यों नहीं किया? पड़ोसी इत्यादी किसी का कोई तो साक्ष्य होगा, जबकि पिछले महीनों में प्रार्थी के घर में रहने के दौरान माता जी, अनिल, राजेश कई बार प्रश्नगत मकान में आये है जिसकी cctv फुटेज भी प्रार्थी के पास है, प्रार्थी द्वारा माताजी को चाय पानी के लिए भी पूछा गया। प्रार्थी द्वारा माननीय सिविल कोर्ट में और उपखंड मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रस्तुत नक़्शे में प्रार्थी के पजेशन वाले हिस्से, माता जी के पजेशन वाले हिस्से एवं सामलाती हिस्से को स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था जिस पर कभी कोई आपत्ति प्रकरण की अवधि के दौरान माताजी द्वारा दर्ज नहीं कराई गई अब अपनी सुविधानुसार उसकी व्याख्या कराई जा रही है। माननीय उपखंड मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद माननीय सिविल कोर्ट द्वारा प्रार्थी को घर से बेदखल नहीं करने देने के पक्ष में स्टे ऑर्डर दे दिया गया है क्योंकि मामला संपत्ति का है और इसका अंतिम निर्धारण सिविल कोर्ट द्वारा ही किया जाएगा। प्रार्थी सहित परिवार के सभी सदस्य भी इस मकान के कानूनी उतराधिकारी है क्योकि न तो इस मकान का अंतिम दस्तावेज जारी हुआ है ना ही, सिविल कोर्ट से हिस्से का निर्धारण हुआ है, माताजी सहित सभी वारिस हिस्सेदार है। सिविल कोर्ट के निर्णय, UIT अलवर के दस्तावेज नकारते हुए बार–बार खुद के तान्यह मालिक होने का झूठ दोहराया जा रहा है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट उपरोक्त तथ्यों के आधार पर खारिज फरमाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के निर्णय दिनांक 09.06.2023 के संबंध में अनुतोष हेतु निवेदन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया कि उक्त अधिनियम भारतीय समाज के रीति रिवाजों पर आधारित है और व्यक्तिगत झगडे को सुलझाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ना ही उक्त बिन्दू पर वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत किसी प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा अपने परिवाद में भरण पोषण नहीं चाहा गया है। धारा 22 में सम्पत्ति का सशर्त अन्तरण को शून्य घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अधिनियम की धारा 23 में वर्णन अनुसार बेदखल किया जाना उचित नहीं माना गया। अधिनियम की धारा 23 मौजूदा प्रकरण व पारिवारिक घटनाक्रम पर चस्पा नहीं होती है। उक्त अधिनियम की धारा 23 में बेदखली (EVICTION) का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम 2007 निर्दिष्ट विधि अनुसार पारित निर्णय दिनांक 09.06.2023 उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का आदेश दिनांक 09.06.2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान